दि. 15/ 2002

XXX-Part.—21

रूप क्रमांक 2

(देखिये नियम 7)

सत्यमेव जयते

छत्तीसगढ़ शासन

समिति का पंजीयन प्रमाणपत्र

क्रमांक सा.रा./जिला दुर्ग/1075

यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रतिज्ञा विकास संस्थान

समिति जो म.नं. एल.आई.जी. 295 पद्मनाभपुर ,तहसील [illegible] ,

जिला दुर्ग में स्थित है, ~~मध्यप्रदेश~~ छत्तीसगढ़

सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (सन् 1973 का क्रमांक 44)

के अधीन 15/4/2002 को पंजीयित की गई है ।

दिनांक पन्द्रह माह अप्रैल सन् 2002

सहायक पंजीयक

मुद्रा

(डी.डी. महन्त)

समितियों के असि. रजिस्ट्रार

समितियों के रजिस्ट्रार

GRPRJ—FS/288—12/2000—4,000.

कार्यालय पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाऐ छत्तीसगढ़

इन्द्रावती भवन, ब्लॉक–एक, तृतीय तल, नया रायपुर

क्रमांक / संशो–256 / 2720 / 14 रायपुर , दिनांक 27/2/15

प्रति,

अध्यक्ष / सचिव

प्रतिज्ञा विकास संस्थान

एलआईजी 295 पदनाभपुर दुर्ग (छ.ग.)

विषयः– छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (संशोधित 1998) की धारा 10 एवं 13 के अधीन संस्था के पंजीकृत संस्था के विधान में संशोधन बाबत् ।

संदर्भः– आपका प्रस्ताव प्राप्त दिनांक 19 / 02 / 2015

––00––

संस्था " प्रतिज्ञा विकास संस्थान" जिला दुर्ग पंजीयन क्रमांक 1075 दिनांक 15–04–2002 द्वारा पंजीकृत संस्था है, जिस पर वर्तमान में छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (संशोधित नियम 1998) के समस्त प्रावधान प्रभावशील है ।

संस्था द्वारा विषयांकित प्रावधानों के तहत निर्धारित प्रारूप पर जानकारी प्रस्तुत करते हुए संस्था द्वारा आयोजित आमसभा दिनांक 15–01–2015 एवं 15–02–2015 में संशोधन प्रस्ताव पारित कर संशोधन हेतु शुल्क रूपये 600 / – चालान क्रमांक 12671604 दिनांक 13–02–2015 को जमा कर मूल प्रति के साथ संशोधित नियमावली के मूल हस्ताक्षरयुक्त प्रतियों प्रस्तुत करते हुए संशोधन स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है।

प्रकरण मूलनस्ती के साथ समक्ष में प्रस्तुत किया गया तथा परीक्षण उपरान्त प्रस्तावित संशोधित नियमों को स्वीकृत योग्य पाये जाने पर विषयांकित प्रावधानों के तहत् अनुमोदन कर पंजीबद्ध किया जाता है।

प्रस्तावित संशोधन स्वीकृत हो जाने के फलस्वरूप इसके पूर्व के प्रचलित नियमावली स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।

कृपया भविष्य में संशोधित नियमों का दृढ़ता से पालन करना सुनिश्चित करें।

(डी0 डी0 महंत)
उप पंजीयक
फर्म्स एवं संस्थाऐं, छत्तीसगढ़

संशोधित नियमावली

1. संस्था का नाम : प्रतिज्ञा विकास संस्थान होगा।
2. समिति का कार्यालय – :– क्वार्टर नं0 231 पंचशील एकाडमी के पीछे मुक्त नगर पदनाभ्पुर दुर्ग तहसील व दुर्ग छत्तीसगढ़
03. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण भारत वर्ष होगा।
04. संस्था का उद्देशय :

(1) जन जागृति पैदा करना ।

(2) ग्रामीण विकासोन्मुखी योजनाओं का कियान्वयन ।

(3) शिक्षा एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता अभियान ।

(4) खादी ग्रामोघोग आयोग के योजनाओं की जानकारी ।

(5) पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण ।

(6) महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम

(7) सांस्कृतिक कार्यक्रम ,खेलकूद गतिविधियों को बढ़ावा देना ।

(8) जल संवर्धन की दिशा में कार्य करना ।

(9) ग्रामीण विकास एंवं रचनात्मक कार्य का आयोजन ।

(10) स्वच्छता कार्यक्रम के तहत ग्रामो में स्वच्छता शौचालय का निर्माण कराना व जानकारी प्रदान करना ।

(11) गांवो में विकलांग शिविर का आयोजन कराना एवं सहयोग प्रदान करना ।

(12) रोजगारोन्मुखी योजनाओं का प्रचार प्रसार ।

(13) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग की योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार ।

(14) औषधीय पौधों की खेती को प्रोत्साहन ।

(15) स्वयं सहायता समूह का गठन ,कियान्वयन ।

(16) शिक्षा के विकास हेतु नर्सरी से हायरसेकेण्डरी स्कूल व कालेज का संचालन व प्रबंधन करना एवं उच्च व तकनीकी शिक्षा हेतु महाविघालय की स्थापना व प्रबंधन करना एवं समस्त प्रकार के शिक्षण एवं प्रशिक्षण का संचालन करना।

(17) समाज के सभी वर्ग के लोगों जैसे पुरूषों, महिलाओं, किशोरों, वृद्धों, दलितों, शरणार्थी, विस्थापित, बेरोजगार, अकुशल, बीमार, गरीब, साधनहीन, निःषक्तों आदि के लिए स्वरोजगार संबंधी विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों का आयोजन करना एवं रोजगार संबंधी कार्यक्रम का संचालन करना एवं उनके लिए विभिन्न विकास कार्यक्रमों का संचालन करना।

हस्ताक्षर हस्ताक्षर हस्ताक्षर

(18) भारत सरकार एवं राज्य सरकार के सहयोग से चिकित्सा व स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान करना एवं शासन की राष्ट्रीय कार्यक्रम जैसे रक्त दान शिविर ,पोलियो ड्राफ्ट ,टीकाकरण ,स्वास्थ्य ,शिक्षा, महिला सशक्तिकरण एवं विभिन्न शासकीय कार्यक्रमों के कियान्वयन आदि मे सहयोग करना एवं इन विषयों से संबंधित परियोजनाओं का संचालन करना ।

(19) नि:शक्तजन, निर्धन, दलित, पिछड़ा वर्ग, आदिवासी,बाल श्रमिक, महिलाओं एवं बच्चों के कल्याणहेतु विकास योजनाओं एवं कार्यक्रमों का संचालन करना ।

(20) राष्ट्रीय एकता एवं साम्प्रदायिक सदभाव के लिए, युवा षक्ति एवं खेल कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए कार्य करना।

(21) समस्त ग्रामीण विकास संबंधी योजनाओं एवं शासकीय योजनाओं का कियान्वन करना एवं समस्त विकास संबंधी एवं स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं एवं कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार एवं संचालन करना । सांस्कृतिक कार्यक्रमों जैसे लोकनृत्य, लोककला, लोकगान आदि का प्रचार एवं प्रसार करना एवं इनसे संबंधित विकास कार्यक्रमों का संचालन एवं कियान्वयन करना, भाषा, शैली का प्रचार प्रसार अनुवाद एवं विकास कार्यक्रम, सर्व धर्म हिताय कार्यक्रम करना।

(22) ग्रामीण एवं षहरी विकास, साहित्य, खेलकूद, युवा कल्याण, समाज कल्याण, सामाजिक न्याय, जल एवं पर्यावरण संरक्षण, खाद्य सुरक्षा, सामुदायिक सुरक्षा, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पोषण आहार, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य, नेत्र व रक्तदान, रक्तकोश की स्थापना, एड्स नियंत्रण, नशामुक्ति,उन्नत एवं हर्बल कृषि, स्वच्छता कार्यक्रम, आपदा प्रबंधन, भ्रष्टाचार उन्मूलन, अंधविश्वास एवं सामाजिक कुरीति उन्मूलन हेतु कार्य करना।

(23) विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र मे, गैर परंपरागत उर्जा श्रोत को बढ़ावा देने के क्षेत्र में, राष्ट्रीय विषयों मुद्दों समस्याओं पर आधारित कार्यो एवं योजनाओं के क्षेत्र मे, समस्त शासकीय योजनाओं को जनसमुदाय तक पहुचाने एवं उन्हे जोड़ने एवं उन योजनाओं के कियान्वयन एवं संचालन के क्षेत्र मे कार्य करना।

(24) महिला जागरूकता, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम, व्यवसायिक प्रशिक्षण, पर्यावरण सुरक्षा, सामाजिक बुराईयो जैसे–दहेज, छुआछूत एवं नषा विरोधी, जन जागरण, साक्षरता, बाल श्रम, उन्मूलन खेलकूद एवं सांस्कृतिक गतिविधियों, समाज सेवा एवं समाज सुधार कार्यक्रमों, सामाजिक एवं षैक्षणिक फिल्मों का प्रदर्षन, महिला स्वावलंबी कार्यक्रमों का आयोजन करना या आयोजन में सहयोग करना।

5. सदस्यता:– संस्था में निम्नलिखित श्रेणी के सदस्य होंगे–

(अ) संरक्षक सदस्य– संस्था को जो व्यक्ति दान के रूप में 41,000/– (इकचालीस हजार रू.) या उससे अधिक एक मुस्त या एक साल में 12 किस्तों में देगा वह समिति का संरक्षक सदस्य होगा।

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

(ब) आजीवन सदस्य– जो व्यक्ति संस्था को दान के रूप में 31000/– (इकतीस हजार रू.) या उससे अधिक एक मुस्त या एक साल में 12 किस्तों में देगा वह समिति का आजीवन सदस्य होगा। कोई भी आजीवन सदस्य रू. 10000/– या अधिक देकर संरक्षक सदस्य बन सकता है।

(स) साधारण सदस्य– जो व्यक्ति 200 रू. प्रति माह, 2400 रूपये प्रति वर्ष संस्था को चंदे के रूप में देगा वह साधारण समिति का सदस्य होगा। साधारण सदस्य केवल उसी अवधि के लिए सदस्य होगा जिसके लिए उसने चंदा दिया है जो साधारण सदस्य बिना संतोषजनक कारणों के छः माह तक देय चन्दा नहीं देगा उसकी सदस्यता समाप्त हो जावेगी ऐसे सदस्य द्वारा संस्था के लिए नया आवेदन पत्र देने तथा बकाया चन्दे की राषि देने पर पुनः सदस्य बनाया जा सकता है।

(द) समान्य सदस्य–संस्था की प्रबंधकारिणी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस समय के लिए जो भी वह उचित समझे सम्मानीय सदस्य बना सकती है। ऐसे सदस्य साधारण सभा की बैठक में भाग ले सकते हैं परन्तु उनको मत देने का अधिकार नहीं होगा।

6. सदस्यता की प्राप्तिः– प्रत्येक व्यक्ति जो कि समिति का सदस्य बनने का इच्छुक हो लिखित रूप में आवेदन करना होगा। ऐसा आवेदन–पत्र प्रबंधकारिणी समिति को प्रस्तुत होगा जिसके आवेदन–पत्र को स्वीकार करने या अमान्य करने का अधिकार प्रबंधकारिणी को होगा।

7. सदस्यों की योग्यता :– संस्था का सदस्य बनने के लिये किसी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यता होना आवष्यक है –
   1. आयु 18 वर्ष से कम न हो
   2. भारतीय नागरिक हो।
   3. समिति के नियमों के पालन की प्रतिज्ञा की हो।
   4. सदचरित्र हो तथा मद्यपान न करता हो।

8. सदस्यता की समाप्ति :– संस्था की सदस्यता निम्नलिखित स्थिति में समाप्त हो जायेगी –
   1. मृत्यु हो जाने पर,
   2. पागल हो जाने पर
   3. संस्था को देय चन्दे की रकम नियम 5 में बताये अनुसार जमा न करने पर।
   4. त्याग–पत्र देने पर और वह स्वीकार होने पर,
   5. चारित्रीक दोश होने पर और कार्यकारिणी समिति के निर्णयानुसार निकाल दिये जाने पर जिसके निर्णय पारित होने की सूचना सदस्य को लिखित रूप में देनी होगी।
9. संस्था कार्यालय में सदस्य पंजी रखी जावेगी जिसमें निम्न ब्यौरे दर्ज किये जावेंगे –
   1. प्रत्येक सदस्य का नाम पता तथा व्यवसाय।
   2. वह तारीख जिसकी सदस्यों को प्रवेष दिया गया हो व रसीद नं.
   3. वह तारीख जिससे सदस्यता समाप्त हुई हो।

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

10 (अ) साधारण सभा :– साधारण सभा में नियम 5 में दर्शाये श्रेणी के सदस्य समावेषित होंगे। साधारण सभा की बैठक आवष्यकतानुसार हुआ करेगी। परन्तु वर्ष में एक बार बैठक अनिवार्य होगी। बैठक का माह तथा बैठक का स्थान व समय कार्यकारिणी समिति निष्चित कर 15 दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को दी जावेगी। बैठक का कोरम 2/3 सदस्यों का होगा। संस्था की प्रथम आम सभा पंजीयन दिनांक से 3 माह के भीतर बुलाई जावेगी। उसमें संस्था के पदाधिकारियों का विधिवत निर्वाचन किया जावेगा। यदि संबंधित आमसभा का आयोजन किसी समय नहीं किया जाता तो पंजीयक को अधिकार होगा कि वह संस्था की आम सभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मार्ग दर्शन में एवं पदाधिकारियों का विधिवत चुनाव कराया जावेगा।

(ब) प्रबंधकारिणी संस्था – प्रबन्धकारिणी सभा बैठक प्रत्येक माह होगी तथा बैठक का ऐजेन्डा तथा सूचना बैठक दिनांक से सात दिन पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को भेजी जाना आवष्यक होगी। बैठक में कोरम 1/2 सदस्यों की होगी। यदि बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होता है तो बैंठक एक घण्टे के लिए स्थगित की जाकर उसी स्थान पर उसी दिन पुनः की जा सकेगी जिसके लिए कोरम की कोई षर्त न होगी।

(स) विशष– यदि कम से कम कुल संख्या(कुल सदस्यों की संख्या का) के 2/3 सदस्यों द्वारा लिखित रूप से बैठक बुलाने हेतू आवेदन करें तो उनके दर्षाये विशय पर विचार करने के लिए साधारण सभा की बैठक बुलायी जावेगी। विषेश संकल्प पारित हो जाने पर संकल्प की प्रति बैठक पंजीयक को संकल्प पारित हो जाने के दिनांक से 45 दिन के भीतर भेजा जावेगा। पंजीयक को इस संबंध में आवष्यक निर्देश जारी करने तथा समिति को परामर्श देने का अधिकार होगा।

11. साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्यः–

(क) संस्था के पिछले वर्ष का वार्शिक विवरण प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना।

(ख) संस्था की स्थाई निधि व संपत्ति की ठीक व्यवस्था करना।

(ग) अगामी वर्श के लिए लेखा परीक्षकों की नियुक्त करना।

(घ) अन्य ऐसे विशयों पर विचार करना जो प्रबंधकारिणी द्वारा प्रस्तुत हो।

(च) संस्था द्वारा संचालित संस्थाओं के आय–व्यय पत्रकों को स्वीकृत करना

(छ) बजट का अनुमोदन करना।

12. प्रबंधकारिणी का गठन :– ट्रस्टीज यदि कोई हो समिति के पदेन समिति सदस्य रहेंगे। नियम 5,(अ,ब,स) में दर्शाये गये सदस्यों जिनके नाम पंजी रजिस्टर में दर्ज हो बैठक में बहुमत के आधार पर निम्नांकित पदाधिकारियों तथा प्रबंधकारणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन होगा।

(1) अध्यक्ष, (2)उपाध्यक्ष, (3)सचिव, (4)कोषाध्यक्ष

(5) संयुक्त सचिव एवं 2 सदस्य

हस्ताक्षर हस्ताक्षर हस्ताक्षर

13. प्रबंध समिति का कार्यकालः— प्रबंध समिति का कार्यकाल तीन वर्श होगा समिति का यथेश्ट कारण होने पर उस समय तक जब तक कि नई प्रबंधकारिणी समिति का निर्माण नियमानुसार या अन्य कारणों से नहीं हो जाता, रहेगी किन्तु उक्त अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगी जिसका अनुमोदन साधारण सभा से कराना अनिवार्य होगा।

14. प्रबंधकारिणी समिति के अधिकार व कर्तव्यः—

(1) जिन उद्देष्यों की प्राप्ति हेतु समिति का गठन हुआ है उसकी पूर्ति करना और इस आषय की पूर्ति हेतू व्यवस्था करना ।

(2) पिछले वर्ष का आय—व्यय का लेखा पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रतिवर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना।

(3) समिति एवं उसके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना। संस्था की चल अचल संपत्ति पर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना ।

(4) प्रबंधक,लिपिक,लेखापाल, तकनीकी कर्मचारी, शिक्षकों, चौकीदार, चपरासी आदि समस्त प्रकार के कर्मचारियों की नियुक्ति एवं सेवामुक्ति करना, अवकाश स्वीकृत करना, तथा अन्य आवश्यक कार्य करना, जो साधारण सभा द्वारा समय—समय पर सौंपे जाए।

(5) आवश्यकतानुसार नये कानून और नियमावली बनाना और उसे सर्व साधारण सभा मे पारित करना

(6) संस्था की समस्त चल—अचल संपत्ति, समिति के नाम से रहेगी।

(7) विषेश बैठक आमंत्रित कर संस्था के विधान में संशोधन किये जाने के प्रस्ताव पर विचार विमर्ष कर साधारण सभा को विषेश बैठक में उसकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगी। साधारण सभा में कुल सदस्यों 2/3 मत से संषोधित पारित होने पर उक्त प्रस्ताव पारित कर पंजीयक को अनुमोदन हेतु भेजा जावेगा।

(8) संस्था के हितार्थ कोश एकत्रित करना एवं विषेश प्रसंगों पर संस्था के हितार्थ व्यय करने की स्वीकृति प्रदान करना।

(9) व्यय राशि का अनुमोदन या खारिज करना।

(10) रकम का व्यवहार राष्ट्रीयकृत बैंक के माध्यम से होगा इसलिए बैंक मे खाता खोलना और बैंक से पैसा निकालकर आवष्यक खर्च करना।

(11) अंशदान व जायदाद का प्रबंध करना एवं इस संस्था के उद्देष्य पूर्ति हेतु अंशदान व दान की वसूली करना।

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

(12) कार्य को तय करना और उनका तरीका निष्चित करना व असामयिक रिक्त स्थान की पूर्ति करना।

15. अध्यक्ष के अधिकारः— अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबंधकारिणी समिति की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा मंत्री द्वारा साधारण सभा में प्रबंधकारिणी की बैठकों का आयोजन करवायेगा। अध्यक्ष का मत विचारार्थ विशयों में निर्णयात्मक होगा। सदस्यों व्दारा अनुषासनहीनता व विवाद की स्थिति में प्रबंधकार्यकारिणी के बहुमत विचारमत उपरान्त सदस्य को निश्कासित कर सकेगा । मत विभाजन की स्थिति में अध्यक्ष को अपने मत के अतिरिक्त एक और मत देने का अधिकार होगा ।

16. उपाध्यक्ष के अधिकारः— अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा, अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का उपयोग करेगा।

17. सचिव (मंत्री) के अधिकारः—

(1) साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की बैठक समय–समय पर बुलाना और समस्त आवेदन पत्र तथा सुझाव को प्राप्त हो प्रस्तुत करना।

(2) समिति का आय–व्यय का लेखा परीक्षण से प्रतिवेदन तैयार करके साधारण सभा के सम्मुख यह प्रस्तुत करना।

(3) समिति के सारे कागजातों को तैयार करना तथा करवाना। उनका निरीक्षण करना व अनियमितता पाये जाने पर उसकी सूचना प्रबंधकारिणी को देना।

(4) सचिव को किसी कार्य के लिये एक समय में 40,000 रू. प्राप्त करने का अधिकार होगा।

18. संयुक्त सचिव के अधिकार :— सचिव की अनुपस्थिति में संयुक्त सचिव कार्य करेगा ।

19. कोषाध्यक्ष के अधिकार :— समिति की धनराशि का पूर्ण हिसाब रखना तथा सचिव या कार्यकारिर्ण द्वारा स्वीकृत व्यय करना।

20. बैंक खाताः— संस्था की समस्त निधि किसी अनुसूचित बैंक या पोस्ट आफिस में रहेगी। धन क आहरण अध्यक्ष या मंत्री तथा कोशाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा। दैनिक व्यय हेतु कोशाध्यक्ष के पास अधिकतम रूपये 50,000 रहेंगे।

21. पंजीयक को भेजी जाने वाला जानकारीः— अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत संस्था की वार्शिव आम सभा होने के दिनांक से 45 दिन के भीतर निर्धारित प्रारूप पर कार्यकारिणी समिति की सूर्च फाईल की जावेगी। तथा धारा 28 के अन्तर्गत संस्था की परीक्षित लेखा भेजेगी।

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

संशोधनः– संस्था के विधान में संषोधन साधारण सभा की बैठक में कुल सदस्यों के 2/3 मतों से पारित होगा। यदि आवष्यक हुआ तो संस्था के हित में उसके पंजीकृत विधान में संषोधन करने के अधिकार पंजीयक फर्म एवं संस्थाऐं को होगा जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा।

23. विघटनः– संस्था का विघटन साधारण सभा में कुल सदस्यों के 3/5 मत से पारित किया जावेगा। विघटन के पष्चात् संस्थ की चल तथा अचल संपत्ति किसी समान उद्देष्यों वाली संस्था को सौंप दी जावेगी। उक्त समस्त कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी।

24. संपत्ति :– संस्था की समस्त चल तथा अचल संपत्ति के समिति के नाम से रहेगी। संस्था की अचल संपत्ति (स्थावर) रजिस्ट्रार फार्म एवं संस्थाऐं की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा दान द्वारा या अन्य प्रकार से अर्जित या अन्तरित नहीं की जा सकेगी।

25. बैंक खाता :– संस्था की समस्त निधी किसी अनुसूचित बैंक या पोस्ट आफिस में खोला जायेगा एवं समय–समय पर धन जमा करने व निकालने की प्रक्रिया जारी रहेगी।

26. पंजीयक द्वारा बैठक बुलानाः– संस्था की पंजीयन नियमावली के अनुसार प्रदाधिकारियों द्वारा वार्षिक बैठक न बुलाए जाने पर या अन्य प्रकार से आवष्यक होने पर पंजीयक फार्म एवं संस्थाएं की बैठक बुलाने का अधिकार होगा। साथ ही बैठक में विचारार्थ विशय निष्चित कर सकेगा।

27. विवादः– संस्था में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर अध्यक्ष को साधारण सभा के अनुमति से सुलझाने का अधिकार होगा यदि इस निष्चित या निर्णय से पक्षों को असन्तोश हो तो वह रजिस्ट्रार को और विवाद के निर्णय भेज सकेंगे। रजिस्ट्रार निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा। संचालित संस्थाओं के विवाद अथवा प्रबंधक कारिणी को विवाद उत्पन्न होने पर अन्तिम निर्णय देने का अधिकार रजिस्ट्रार को होगा।

28. विशेष :–(अ) विभिन्न शासकीय, अर्धशासकीय, विभाग, मंडल, आयोग एवं संबंधित संस्थाओं के एवं समस्त प्रकार के दानदाता संस्थाओं के प्रतिनिधि को संस्था के प्रबंध समिति/साधारण सभा की बैठक मे उपस्थित होने तथा उसमे भाग लेने का अधिकार प्राप्त होगा।

(ब) समान विचारधारा एवं उद्वेष्य वाली षासकीय, अषासकीय, राष्ट्रीय एवं अंर्तराष्ट्रीय दानदाता संस्थाओं एवं व्यक्तियो से संस्था अपने उद्वेश्यानुसार कार्ययोजना के कियान्वयन हेतु दान व अनुदान प्राप्त कर सकेगी। ऐसे समस्त दानदाता संस्थाओं/व्यक्तियों या उनके प्रतिनिधियों को संस्था के प्रबंध समिति/साधारण सभा की बैठक मे उपस्थित होने का अधिकार प्राप्त होगा।

(स) संस्था अपने कार्ययोजना हेतु राश्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, वित्तीय संस्थाओं, व्यक्तियों से साधारण सभा एवं प्रबंध समिति द्वारा निर्धारित षर्तो के अनुसार ऋण प्राप्त एवं भुगतान कर सकेगी।

हस्ताक्षर हस्ताक्षर हस्ताक्षर

INDIA NON JUDICIAL

Government of Chhattisgarh

e-Stamp

सत्यमेव जयते

Certificate No.	:	IN-CG00635706687544N
Certificate Issued Date	:	03-Mar-2015 12:33 PM
Account Reference	:	SHCIL (FI)/ cgshcil01/ RAJNANDGAON/ CG-RN
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-CGCGSHCIL0100670541300617N
Purchased by	:	JAGENDRA WALDE
Description of Document	:	Article 4 Affidavit
Property Description	:	FOR AFFIDAVIT
Consideration Price (Rs.)	:	0 (Zero)
First Party	:	DHALSINGH SAHU S O BEDLAL SAHU
Second Party	:	NA
Stamp Duty Paid By	:	DHALSINGH SAHU S O BEDLAL SAHU
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	10 (Ten only)

SHCIL, RAJNANDGAON e-Stamp

Please write or type below this line

संस्था–प्रतिज्ञा विकास संस्था प0क0 1075 दि015–04–2002 के संशोधित प्रमाणित ज्ञापन एवं नियमावली उपयोग हेतु संलग्न

0002909657

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.shcilestamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.